भारत सरकार
सहकारिता मंत्रालय

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 2981
मंगलवार, 10 मार्च, 2026/19 फाल्गुन, 1947 (शक) को उत्तरार्थ

राष्ट्रीय सहकारिता नीति

†2981. **एडवोकेट गोवाल कागडा पाडवीः**

क्या **सहकारिता** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने महाराष्ट्र सहित देश भर में सहकारी क्षेत्र को पुनर्जीवित करने के उद्देश्य से राष्ट्रीय सहकारिता नीति 2025 शुरू की है या इसे लागू कर दिया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) वर्ष 2025 के लिए महाराष्ट्र में इस नीति के अंतर्गत कितनी नई प्राथमिक कृषि ऋण समितियां (पीएसीएस) अथवा बहुउद्देशीय सहकारी समितियां स्वीकृत की गई हैं और इसमें कितना वित्तीय आवंटन किया गया है;

(ग) क्या सहकारी उद्यमशीलता को बढ़ावा देने के लिए जनजातीय और सीमावर्ती जिलों (जैसे नंदुरबार लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र) के लिए इस नीति में कोई विशिष्ट प्रावधान किया गया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) सहकारी समितियों का डिजिटलीकरण करने, उन्हें राष्ट्रीय डाटाबेस (जैसे राष्ट्रीय सहकारी डेटाबेस) के साथ एकीकृत करने और शासन में सुधार करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं;

(ङ) सरकार का महाराष्ट्र में सहकारी समितियों और कृषि मूल्य श्रृंखलाओं, डेयरी और संबद्ध क्षेत्रों के बीच संबंध को किस प्रकार सुदृढ़ करने का विचार है, और

(च) महाराष्ट्र में इस नीति को कब तक पूर्ण रूप से कार्यान्वित किए जाने की संभावना है (जिसमें मौजूदा सहकारी समितियों का पुनःसंयोजन भी शामिल है) और इस संबंध में प्रगति के मानदंड क्या होंगे?

उत्तर

सहकारिता मंत्री
(श्री अमित शाह)

(क): जी हां, मान्यवर । राष्ट्रीय सहकारिता नीति, 2025 का विमोचन दिनांक 24 जुलाई 2025 को माननीय गृह एवं सहकारिता मंत्री द्वारा किया गया था । सहकारिता मंत्रालय के अधिदेश - "**सहकार से समृद्धि**" की प्राप्ति के लिए इस नीति के निर्माण की परिकल्पना की गई है । यह सहकारी क्षेत्र के व्यवस्थित और समग्र विकास के लिए एक रोडमैप प्रदान करती है । इसके 6 रणनीतिक स्तंभ, 16 उद्देश्य और 83 सिफारिशें हैं ।

(ख): राष्ट्रीय सहकारिता नीति, 2025 एक रोडमैप प्रदान करती है और नीति में उल्लिखित उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए इसमें नीतिगत सिफारिशें शामिल हैं । इसमें देश में स्थापित की जाने वाली प्राथमिक कृषि क्रेडिट समितियों (पैक्स) अथवा बहुद्देशीय सहकारी समितियों की संख्या निर्धारित नहीं की गई है ।

(ग): राष्ट्रीय सहकारिता नीति, 2025 के छह रणनीतिक मिशन स्तंभों में से एक "समावेशिता को बढ़ावा देना और पहुंच का विस्तार करना" है । इस स्तंभ के अधीन उद्देश्यों में से एक (धारा 6.1) "समावेशिता और सदस्य केंद्रीयता को प्रोत्साहित करना" उल्लिखित करता है । इस उद्देश्य के अधीन सिफारिश (उपधारा 6.1.1) में समावेशिता को बढ़ावा देने के लिए महिलाओं, युवाओं, छोटे और सीमांत किसानों तथा कमजोर वर्गों (अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति, दिव्यांगजन, आदि) की भागीदारी को प्रोत्साहित करना और सहकारी समितियों में उन्हें महत्वपूर्ण भूमिका सौंपना है । इसके अलावा, इस उद्देश्य के अधीन सिफारिश (उपधारा 6.1.2) में मात्स्यिकी, डेयरी, हथकरघा बुनाई, हस्तशिल्प, लघु वनोत्पाद, आदि जैसे क्षेत्रों में कमजोर और सीमांत वर्गों की सहकारी समितियों को बढ़ावा देना और उन्हें सशक्त करना है । इन सिफारिशों से जनजातीय जिलों में सहकारी आंदोलन को सुदृढ़ होगा।

(घ): सहकारी समितियों का डिजिटलीकरण करने, उन्हें राष्ट्रीय डाटाबेस (उदाहरण के तौर पर राष्ट्रीय सहकारी डेटाबेस) के साथ एकीकृत करने और शासन में सुधार करने के लिए मंत्रालय द्वारा निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं:

(i) कंप्यूटरीकरण द्वारा पैक्स का सशक्तीकरण: पैक्स को सशक्त करने के लिए 2925.39 करोड़ रुपये के कुल वित्तीय परिव्यय से कार्यशील पैक्स के कंप्यूटरीकरण की परियोजना को भारत सरकार द्वारा अनुमोदित किया गया है जिसमें देश के सभी कार्यशील पैक्स को कॉमन ईआरपी (एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग) आधारित राष्ट्रीय सॉफ्टवेयर पर लाकर राज्य सहकारी बैंकों और जिला केंद्रीय सहकारी बैंकों के माध्यम से नाबार्ड के साथ लिंक किया जाना है । इस परियोजना के अधीन 31 राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों के कुल 79,630 पैक्स अनुमोदित किए गए हैं । कुल 61,025 पैक्स को ईआरपी पर ऑनबोर्ड कर लिया गया है और 30 राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों द्वारा हार्डवेयर का प्रापण किया गया है ।

(ii) कृषि और ग्रामीण विकास बैंकों (एआरडीबी) का कंप्यूटरीकरण: दीर्घकालिक सहकारी ऋण संरचना को सुदृढ़ करने के लिए सरकार द्वारा 13 राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों में फैले कृषि और ग्रामीण विकास बैंकों की 1,867 इकाइयों के कंप्यूटरीकरण की परियोजना को अनुमोदित किया गया है । नाबार्ड इस परियोजना की कार्यान्वयन एजेंसी है । अब तक 10 राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों से प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं जिन्हें स्वीकृत किया गया है । इसके अलावा, हार्डवेयर के प्रापण, डिजिटलीकरण और सपोर्ट सिस्टम स्थापित करने के लिए वित्तीय वर्ष 2023-24, वित्तीय वर्ष 2024-25 और वित्तीय वर्ष 2025-26 में 10 राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों को भारत सरकार के हिस्से के रूप में 10.89 करोड़ रुपये जारी किए गए हैं ।

(iii) केंद्रीय पंजीयक के कार्यालय का कंप्यूटरीकरण: बहुराज्य सहकारी समितियों के लिए डिजिटल परितंत्र के निर्माण हेतु केंद्रीय पंजीयक के कार्यालय को कंप्यूटरीकृत किया गया है जो समयबद्ध रीति से आवेदनों और सेवा अनुरोधों की प्रोसेसिंग में सहायक है।

(iv) राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों में सहकारी समितियों के रजिस्ट्रार कार्यलयों के कंप्यूटरीकरण की योजना: केंद्रीय सरकार द्वारा दिनांक 06 अक्टूबर 2023 को वर्ष 2023-24 से तीन वर्षों के लिए ₹94.59 करोड़ के बजटीय परिव्यय से राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों में सहकारी समितियों के पंजीयक के कार्यालयों के

कंप्यूटरीकरण की एक केंद्रीय प्रायोजित परियोजना को अनुमोदित किया गया है । यह मंत्रालय की "आईटी इंटरवेंशंस के माध्यम से सहकारी समितियों के सशक्तीकरण" की अंब्रेला योजना का एक हिस्सा है । इस परियोजना का लक्ष्य सहकारी समितियों के लिए सुगम व्यवसाय में वृद्धि करना और सभी राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों में सहकारी समितियों तथा आरसीएस कार्यालयों के बीच पारदर्शी, कागज़रहित और डिजिटल परितंत्र का सृजन करना है । परियोजना के अधीन राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों को हार्डवेयर प्रापण, सॉफ्टवेयर विकास, रखरखाव एवं उन्नयन, आदि के लिए सहायता अनुदान प्रदान की जा रही है । इस योजना के अधीन विकसित किया जाने वाला सॉफ्टवेयर संबंधित राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों के सहकारिता अधिनियमों के अनुरूप होगा । वित्तीय वर्ष 2023-24, 2024-25 और 2025-26 (20 जनवरी 2026 तक) के दौरान कुल 35 राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों ने अपने प्रस्ताव प्रस्तुत किए हैं तथा राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों को भारत सरकार के हिस्से के रूप ₹26.82 करोड़ की राशि जारी की गई है ।

(v) सहकार सारथी (साझा सेवा निकाय): ग्रामीण सहकारी बैंकों को साझा IT अवसंरचना प्रदान करने और उनके सशक्तीकरण के लिए आरबीआई ने सहकार सारथी (साझा सेवा निकाय) की स्थापना हेतु नाबार्ड को अनुमोदन प्रदान किया है । इसने ग्रामीण सहकारी बैंकिंग क्षेत्र के लिए 13 सेवाएं लॉन्च की हैं ।

(v) शहरी सहकारी बैंकों के लिए अंब्रेला संगठन: भारतीय रिजर्व बैंक के अनुमोदन से शहरी सहकारी बैंक क्षेत्र के लिए एक अम्ब्रेला संगठन (यूओ) के रूप में नेशनल फेडरेशन ऑफ कोऑपरेटिव एंड क्रेडिट सोसाइटीज लि. (एनएएफसीयूबी) की स्थापना की गई जो लगभग 1,500 शहरी सहकारी बैंकों को आवश्यक आईटी अवसंरचना और प्रचालनात्मक सहयोग प्रदान करता है । इसने डिजि लोन और डिजि पे जैसी विभिन्न सेवाएं लॉन्च की हैं ।

(ङ): सरकार देश में, महाराष्ट्र सहित, सहकारी समितियों और कृषि मूल्य श्रृंखलाओं, डेयरी तथा संबद्ध क्षेत्रों के बीच संबंधों को विभिन्न पहलों के माध्यम से सुदृढ़ कर रही है। इनमें से कुछ महत्वपूर्ण पहलें निम्नलिखित हैं:

1. **भारतीय बीज सहकारी समिति लिमिटेड (बीबीएसएसएल):** सरकार ने पैक्स और अन्य सहकारी समितियों के माध्यम से बीज उत्पादन, परीक्षण, प्रमाणन, प्रापण, प्रसंस्करण, भंडारण, ब्रांडिंग और विपणन का समर्थन करने के लिए बहुराज्य सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 2002 के अधीन एक शीर्ष बहुराज्य सहकारी बीज समिति के रूप भारतीय बीज सहकारी समिति लिमिटेड (बीबीएसएसएल) की स्थापना की है । बीबीएसएसएल ने "भारत बीज" ब्रांड के अंतर्गत बीज लॉन्च किए हैं । अब तक 33,077 पैक्स/सहकारी समितियां बीबीएसएसएल की सदस्य बन चुकी हैं जिनमें महाराष्ट्र के 5,012 सदस्य शामिल हैं । इसके अलावा, बीबीएसएसएल महाराष्ट्र में केला टिश्यू कल्चर सुविधाएं स्थापित करने की प्रक्रिया में है जो किसानों को किफायती रोगमुक्त रोपण सामग्री की आपूर्ति सुनिश्चित करेगा ।

2. **राष्ट्रीय सहकारी ऑर्गेनिक्स लिमिटेड (एनसीओएल):** सरकार ने पैक्स/एफपीओ सहित सदस्य सहकारी समितियों के माध्यम से जैविक उत्पादों के एकत्रीकरण, प्रमाणन, परीक्षण, प्रापण, भंडारण, प्रसंस्करण, ब्रांडिंग, पैकेजिंग, लॉजिस्टिक्स और विपणन के लिए संस्थागत सहायता प्रदान करने हेतु बहुराज्य सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 2002 के अधीन शीर्ष बहुराज्य सहकारी समिति के रूप में राष्ट्रीय सहकारी ऑर्गेनिक्स लिमिटेड (एनसीओएल) की स्थापना की है । अब तक 11,823 पैक्स/ सहकारी समितियां एनसीओएल की सदस्य बन चुकी हैं जिनमें महाराष्ट्र के 341 सदस्य शामिल हैं ।

3. **राष्ट्रीय सहकारी निर्यात लिमिटेड (एनसीईएल):** सरकार ने वैश्विक बाजारों में प्रापण, प्रसंस्करण, ब्रांडिंग, पैकेजिंग, प्रमाणन और विपणन की सुविधा प्रदान करके सहकारी क्षेत्र के उत्पादों के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए बहुराज्य सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 2002 के अधीन राष्ट्रीय सहकारी निर्यात लिमिटेड (एनसीईएल) की स्थापना की है । अब तक 13,890 पैक्स/सहकारी समितियां एनसीईएल की सदस्य बन चुकी हैं जिनमें महाराष्ट्र के 1,036 सदस्य शामिल हैं ।

4. **सहकारिता आधारित श्वेत क्रांति 2.0:** सहकारिता मंत्रालय ने डेयरी क्षेत्र में सहकारी आच्छादन का विस्तार करने, रोजगार सृजन करने और महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए सहकारिता आधारित श्वेत क्रांति 2.0 का शुभारंभ किया है । इस पहल का लक्ष्य अगले पांच वर्षों में डेयरी सहकारी समितियों की दूध प्रापण में 50% की वृद्धि करना है । इस कार्ययोजना के अधीन राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड (एनडीडीबी) को वर्ष 2028-29 तक देश भर में 75,000 नई डेयरी सहकारी समितियों (डीसीएस) की स्थापना और 46,422 मौजूदा समितियों को सशक्त करने हेतु समन्वय का काम सौंपा गया है जिसमें महाराष्ट्र में 5,064 नए डीसीएस की स्थापना और 4,187 मौजूदा डीसीएस का सशक्तीकरण शामिल है ।

इन पहलों के माध्यम से सरकार बीज, जैविक खेती, निर्यात और डेयरी मूल्य श्रृंखलाओं में सहकारी भागीदारी को सशक्त कर रही है जिससे किसानों की बाजार पहुंच में वृद्धि हुई है, मूल्यवर्धन में सुधार हो रहा है और किसानों की आय में वृद्धि हो रही है ।

(च): महाराष्ट्र सहित पूरे भारत में इस नीति के कार्यान्वयन की समय-सीमा दस वर्ष रखी गई है ।

******